मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-क में उपधारा (१) में, द्वितीय पैरा में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

"परन्तु उन मामलों में, जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है, वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.**

"परन्तु उन मामलों में, जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है, वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टांप अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की धारा ९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक ८ जून सन् २०२२ द्वारा केन्द्र शासन / राज्य शासन / सार्वजनिक उपक्रम / लिक्विडेटर / राज्य शासन के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत अन्य कोई इकाई द्वारा मध्यप्रदेश परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के पक्ष में मुद्रीकरण के प्रयोजन से निष्पादित, व्यवसाय या पूंजी या अचल संपत्ति में कोई अधिकार के हस्तांतरण या अंतरण संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान की है.

२. यह बात ध्यान देने योग्य है कि नगरीय सीमाओं के भीतर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्टांप शुल्क के साथ नगरीय निकाय के लिए अतिरिक्त स्टांप शुल्क संग्रहीत किया जाता है और नगरीय निकायों को प्रदाय किया जाता है.

३. स्थावर संपत्ति के अंतरण पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई छूट के आधार पर, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम,१९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३३-क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम,१९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १६१ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि उन मामलों में जहां राज्य सरकार, किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है, वहां नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २९ नवम्बर, २०२२.

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ''१३३-क (१) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का स. २) द्वारा स्थावर सम्पत्ति के क्रमशः विक्रय दान तथा भोग बंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में, उन लिखतों की दशा में, जो किसी निगम की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गई है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध ऐसी सीमाओं को लागू किए जाते हैं, ऐसी स्थित सम्पत्ति के मूल्य पर या भोग बंधक की दशा में, लिखत द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर, जो लिखत में उपवर्णित है, तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास, किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हैं नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा. इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा.

* * * *

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१ से उद्धरण)

* * * *

धारा १६१ (१) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) द्वारा स्थावर सम्पत्ति के क्रमशः विक्रय दान तथा भोगबंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में, उन लिखतों की दशा में, जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध उस नगरपालिका में प्रवृत्त होते हैं, ऐसी स्थिति में संपत्ति के मूल्य पर, या भोगबंधक की दशा में, लिखत द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर जो लिखत में उपवर्णित है, तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में नगरीय अधोसंरचना विकास किफायती आवास परियोजनाओं, मेट्रो रेल को सम्मिलित करते हुए नगरीय परिवहन या ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा. इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लिये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए भी किया जा सकेगा.

परन्तु इसमें की कोई भी बात ऐसी संपत्ति के अंतरण की दशा में लागू नहीं होगी जहां इस प्रकार अंतरित संपत्ति का मूल्य या भोगबंधक की दशा में, इस प्रकार प्रतिभूत रकम, दो हजार रुपए से अधिक न हो.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल द्वारा मुद्रित–2022.